अभिनिर्णय

उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अभिधारणा और अभिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 के अन्तर्गत धारा–11(2) भू–अर्जन अधिनियम।

1.	वाद संख्याः	34/2005
2.	ग्राम का नाम/तहसील/परगना/जिलाः	सुनरख बांगर/मथुरा/मथुरा
3.	सहमति पत्रों/करार पत्रों में निहित क्षे0:	कुल क्षेत्र0 67.829 हैक्टे0 में से 38.3390 हैक्टे0
4.	अर्जन निकाय का नामः	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
5.	विज्ञप्ति धारा4(1)/17 की सं0 व दिनांकः	1836/8–3–2006–150एल0ए0/2005 लखनऊ दिनांक 13.07.2006
(1)	गजट प्रकाशन का दिनांकः	13.07.2006
(2)	दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन	
	दैनिक जागरण	27.07.2006
	अमर उजाला	27.07.2006
(3)	सूचना आम (इस्तहार) दिनांक	14.08.2006
6.	विज्ञप्ति धारा 6(1)/17 की सं0 व दिनांकः	2764/8–3–2007–150एल0ए0/2005 लखनऊ दिनांक 26.07.2007
(1)	गजट प्रकाशन का दिनांकः	26.07.2007
(2)	दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन	
	दैनिक जागरण	28.07.2007
	अमर उजाला	29.07.2007
(3)	सूचना आम (इस्तहार) दिनांक	08.08.2007
7	क्या धारा–17 के प्राविधान लागू हैं:	हाँ।
8	क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है:	हाँ।
9	कब्जे का दिनांकः	11.10.2007
10.	अभिनिर्णय का दिनांकः	31.03.2009
11.	अभिनिर्णय की धनराशिः	(क) निर्धारित/सहमत दरों पर 17,04,55,194.00 रू0 (ख) अन्य सम्पत्तियों का प्रतिकर शून्य। योगः 17,04,55,194.00 रू0
12.	भू–अर्जन व्ययः	कुल अभिनिर्णित धनराशि का 10 प्रतिशत अर्जन व्यय के मद में जमा किया जायेगा।
13.	पूँजीकृत मूल्यः	करार में निहित भूमि के लगान का 150 गुना अर्जन निकाय से वसूल कर सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।
14.	सम्पत्ति का मूल्यांकनः	सक्षम विभागों द्वारा प्राप्त सम्पत्ति के मूल्यांकन को गणना प्रपत्र में अंकित कर दिया गया है करार की धनराशि के साथ भुगतान किया जायेगा।
15.	पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अनुग्रह धनराशि	भारत सरकार द्वारा जारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति–2003 के अन्तर्गत भू–स्वामियों को उनकी अर्जित भूमि का 6% विकसित भू–खण्ड जिसमें न्यूनतम 150 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2000 वर्ग मीटर का पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति के लाभ के रूप में दिया जायेगा।

अभिनिर्णय का विस्तृत विवरण

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के परगना मथुरा के ग्राम सुनरख बांगर में मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा " सुनियोजित आवासीय योजना " के निर्माण हेतु स्थाई रूप से 67.829 हैक्टैयर भूमि का अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4 की विज्ञप्ति का प्रकाशन विज्ञप्ति सं0–1836/8–3–2006–150एल0ए0/2005 लखनऊ दिनांक 13.07.2006 तथा गजट में प्रकाशन दिनांक 13.07.2006 एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः अमर उजाला व दैनिक जागरण मे दिनांक 27.07.2006 को हुआ तथा सूचना आम (इश्तहार) दिनांक 14.08.2006 को अन्तिम रूप से कराई गयी।

धारा–4 के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या–2764/8–3–2007–150एल0ए0/2005 लखनऊ दिनांक 26.07.2007 प्रकाशित हुई, जिसका गजट प्रकाशन दिनांक 26.07.2007 में हुआ तथा दो दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः अमर उजाला में दिनांक 29.07.2007 व दैनिक जागरण में दिनांक 28.07.2007 को प्रकाशित हुई तथा सूचना आम (इश्तहार) दिनांक 08.08.2007 को हुई।

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	करार के अन्तर्गत क्षेत्रफल	शेष क्षेत्रफल
51	934बी	0.016	—	0.016
52	935	0.603	—	0.603
53	939	0.583	—	0.583
54	940	0.579	—	0.579
55	941	0.591	—	0.591
56	942	0.615	—	0.615
57	943	0.202	—	0.202
58	945	2.517	—	2.517
59	946	0.801	—	0.801
60	947	1.995	—	1.995
61	950	0.753	0.3765	0.3765
62	951	0.680	0.6375	0.0425
63	952	0.239	0.239	—
64	953	0.158	—	0.158
65	954ए	0.259	—	0.259
66	954बी	0.065	—	0.065
67	955	1.259	1.259	—
68	957	1.935	—	1.935
69	958	0.644	—	0.644
70	959	0.117	—	0.117
71	960	0.227	—	0.227
72	961	0.295	—	0.295
73	962	1.631	—	1.631
74	963	1.222	—	1.222
75	964	1.230	1.230	—
76	966	1.015	0.5075	0.5075
77	967	0.971	—	0.971
78	968	0.138	0.138	—
79	969	0.271	—	0.271
80	971	0.693	0.693	—
81	976	0.482	0.482	—
82	1294	2.420	2.420	—
83	1296	1.076	—	1.076
84	1297	3.355	3.355	—
85	1334	0.413	—	0.413
86	1335	0.312	0.312	—
87	1336	4.403	4.403	—
88	1337	2.768	2.768	—
89	1338	0.967	0.967	—
90	1339	1.692	1.692	—
91	1340	0.409	0.409	—
92	1341	0.364	—	0.364
93	941/1356	0.004	—	0.004
94	941/1357	0.004	—	0.004
योग:	94 किता	67.829 है0	38.3390 है0	29.490 है0

धारा–9 की आपत्ति की सुनवाई हेतु नोटिस जारी करते हुए दिनांक 02.09.2007 व 12.09.2007 नियत की गयी । नियत तिथि पर उपस्थित भू–स्वामियों द्वारा अपनी–अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गयीं जिनमें से करार निष्पादित करने वाले भू–स्वामियों द्वारा आपत्ति की गयी हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

<u>आपत्ति संख्या–01:</u>–यह आपत्ति कन्हैया व चन्दन पुत्रगण चरन सिंह द्वारा दिनांक 24.12.2007 को प्रस्तुत की गई है, जिसमें खसरा नम्बर 896 को प्रभावित बताते हुए कहा गया है कि शासन द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, उनके साथ–साथ प्लाट व नौकरी दिलाये जाने की मांग की गई है। ज़िला समिति द्वारा स्वीकृत दरें